

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 304 / 2012 / श्रीगंगानगर.
2. अपील संख्या – 305 / 2012 / श्रीगंगानगर.
3. अपील संख्या – 306 / 2012 / श्रीगंगानगर.
4. अपील संख्या – 307 / 2012 / श्रीगंगानगर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, श्रीगंगानगर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जे.सी.टी. लिमिटेड, श्रीगंगानगर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल पोखरणा,
उप-राजकीय अभिभाषक
श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14 / 09 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये चारों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमांक: 41 / आरएसटी, 42 / सीएसटी, 44 / सीएसटी व 43 / आरएसटी / श्रीगंगानगर / 10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.04.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, श्रीगंगानगर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2004-05 व 2005-06 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29, 58, 61 व 68 सप्तित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक क्रमांक: 21.3.2007 व 29.3.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को स्वीकार किया है।
2. चारों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी कॉटन यार्न का निर्माता एवं विक्रेता है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(30)एफडी / टैक्स-डिवी. / 2002-147 दिनांक 22.03.2002 के तहत आंशिक छूट के रूप में कॉटन की खरीद पर 1.5 प्रतिशत से अधिक चुकाये गये

लगातार.....2

कर का सेट-ऑफ लिया गया एवं उस राशि को प्रत्येक वर्ष में देय कर के विरुद्ध समायोजित करने के पश्चात् अवशेष बची हुई राशि को आगे के वर्षों में समायोजन लिये जाने हेतु अग्रेषित किया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्येक वर्ष में उक्त अधिसूचना के तहत प्राप्त सेट-ऑफ की राशि का समायोजन के पश्चात् अवशेष राशि को आगे के वर्षों में सेट-ऑफ दिये जाने से इंकार इस आधार पर किया कि उक्त अधिसूचना में यह शर्त रखी हुई है कि सेट-ऑफ की राशि का रिफण्ड देय नहीं होगा अतः सेट-ऑफ का समायोजन अगले वर्षों में दिये जाने से भी इंकार किया गया, जिससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त विवेचित आदेश के जरिये प्रत्यर्थी व्यवहारी को सेट-ऑफ राशि का समायोजन आगे के वर्षों में दिये जाने का आदेश किया जाकर अपीलें स्वीकार की गयी जिसके विरुद्ध राजस्व की ओर से ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 जो अधिनियम, 1994 एवं केन्द्रीय अधिनियम के तहत जारी की गयी थी, उसकी शर्त संख्या 4 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी व्यवसायी को इस अधिसूचना के तहत प्राप्त सेट-ऑफ की राशि का रिफण्ड नहीं किया जायेगा अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सेट-ऑफ नहीं दिये जाने का निर्णय विधिसम्मत निर्णय था एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से सेट-ऑफ दिये जाने का आदेश कर विधिक भूल की गयी है अतः अपीलें स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को बहाल करने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म द्वारा कॉटन की खरीद की जाकर कॉटन यार्न का निर्माण किया जाता है एवं राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष तौर से जारी अधिसूचना दिनांक 2002–147 एवं 2002–148 दिनांक 22.03.2002 जिसके तहत अधिनियम, 1994 व केन्द्रीय अधिनियम, 1956 के तहत Partial Exemption दिये जाने का लाभ दिया गया है और उसी अनुसरण में व्यवहारी द्वारा उनके द्वारा कॉटन की खरीद पर चुकाये गये कर को 1.5 प्रतिशत से अधिक कर का सेट-ऑफ प्राप्त कर उसका क्रेडिट लिया गया था परन्तु प्रत्येक वर्ष में वह राशि उनके विक्रय कर से अधिक राशि होने से वह उनके खाते में अधिक अवशेष रही थी। उन्होंने कथन किया कि उक्त अधिसूचना के तहत यह शर्त रखी गयी है कि ऐसी अधिक राशि का रिफण्ड व्यवसायी को जारी नहीं हो सकता जिसका तात्पर्य स्पष्ट है कि अपनी खरीद पर चुकाये गये कर को राज्य सरकार द्वारा रिफण्ड नहीं किया जा सकता परन्तु उस राशि का समायोजन अधिसूचना

अनुसार उनके विक्रय के अधीन बनने वाले कर के विरुद्ध लिया जा सकता है एवं इसी अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अधिसूचना अनुसार सेट-ऑफ लिया जाकर उसे रिफण्ड का अनुरोध न करके उस राशि का समायोजन विक्रय कर के विरुद्ध दिये जाने का अनुरोध किया गया था एवं इसी अनुसार उस राशि को अगले वर्ष के लिये अग्रेषित करने का आदेश किया गया था जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना की गलत व्याख्या करते हुए उनकी अधिक राशि को निरस्त कर दिया गया था जिसे अपीलीय अधिकारी ने विस्तृत आदेश के जरिये बहाल किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। फलतः राजस्व की अपीलों को अस्वीकार करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. उक्त प्रकरण में विवाद का बिन्दु केवलमात्र यह है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 के तहत व्यवहारी को सेट-ऑफ का लाभ देय है अथवा नहीं। अतः अधिसूचना क्रमांक 2002-147 व 2002-148 दिनांक 22.03.2002 का उद्धरण किया जाना समीचीन होगा :—

S.No. 1536 : F.4(30)FD/Tax Div/2002-147 dated 22.3.2002

S.O. 394.- In exercise of the powers conferred under S.15, RST Act, 1994, the State Govt. being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do hereby, with immediate effect, allows a dealer, manufacturing **cotton yarn** in the State of Rajasthan for sale by him of such goods within the State, to claim **partial exemption** of tax paid in the State on **purchase of cotton** to the extent the rate of tax exceeds one and a half per cent, from the tax payable on the cotton yarn so manufactured and sold within the State, in the manner and subject to the conditions as follows:-

- (1) That such exemption shall be allowed only to the extent exceeding one and a half per cent of tax paid under the Act, in relation to his purchases of cotton from the registered dealers of the State and utilised by him as raw material in the manufacture of cotton yarn within the State;
- (2) That such exemption shall be allowed only in respect of the cotton yarn so manufactured, sold within the State,
- (3) That the dealer shall prove the actual amount of tax paid under the Act on the cotton so used to the satisfaction of the assessing authority; and in the absence of such proof such amount may be determined by reducing his purchase price by a percentage equal to ten plus the rate of tax notified under S.4 in respect of such goods; and
- (4) That no refund of the tax paid on raw material shall be available under this notification.

लगातार.....4

S.No. 1537 : F.4(30)FD/Tax Div/2002-148 dated 22.3.2002

S.O. 395.- In exercise of the powers conferred under S.8(5), CST Act, 1956, the State Govt. being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do hereby, with immediate effect, allows a dealer, manufacturing **cotton yarn** in the State of Rajasthan **partial exemption** of tax paid in the State on **purchase of cotton** to the extent the rate of tax exceeds one and a half per cent, from the tax payable on the cotton yarn so manufactured and sold in the course of inter-State trade or commerce, in the manner and subject to the conditions as follows:-

- (1) That such exemption shall be allowed only to the extent exceeding one and a half per cent of tax paid under the Act (sic), in relation to his purchases of cotton from the registered dealers of the State and utilised by him as raw material in the manufacture of cotton yarn within the State;
- (2) That such exemption shall be allowed only in respect of the cotton yarn so manufactured in the State, only to the extent such cotton yarn is sold in the course of inter-State trade or commerce;
- (3) That the dealer shall prove the actual amount of tax paid under the Act (sic) on the cotton so used to the satisfaction of the assessing authority; and in the absence of such proof such amount may be determined by reducing his purchase price by a percentage equal to ten plus the rate of tax notified under S.4, RST Act, 1994, in respect of such goods; and
- (4) That no refund of the tax paid on raw material shall be available under this notification.

8. उक्त दोनों ही अधिसूचनाओं के जरिये कॉटन यार्न के निर्माताओं को अपनी कॉटन की खरीदी पर चुकाये गये कर पर 1.5 प्रतिशत से अधिक राशि का Partial Exemption ब्लेम करने का अधिकार प्रदान किया गया था अर्थात् जिसमें 1.5 प्रतिशत से अधिक चुकाये गये कर राशि का ब्लेम लिये जाने का अधिकार था। उसके अनुसार यदि कोई व्यवहारी अपनी खरीद पर 1.5 प्रतिशत से अधिक कर चुकाता है तो वह अधिक राशि उसे अपने विक्रय कर के विरुद्ध सेट-ऑफ किये जाने के लिये अधिकृत किया गया है एवं इसी अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रय राशि पर चुकाये गये कर राशि का सेट-ऑफ प्रदान किया गया है परन्तु यह पाया कि व्यवहारी को क्रय राशियों पर चुकाये गये कर की राशि उनके कुल विक्रय कर से अधिक राशि होने से उस राशि को उसके आगे के वर्षों में अग्रेषित करने के बजाये उसे इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि उक्त अधिसूचना की शर्त संख्या 4 में किसी तरह का रिफण्ड नहीं दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत

लगातार.....5

यह अवधारणा विधि के अनुकूल नहीं है क्योंकि इस अधिसूचना के जरिये राज्य सरकार द्वारा चुकाये गये कर का रिफण्ड दिये जाने से निषिद्ध किया गया है जबकि इस अधिसूचना में अधिक चुकाये गये कर को उनके देय कर के विरुद्ध समायोजित करने का लाभ प्रदान किया गया है। उक्त अधिसूचना के अध्ययन से प्रकट होता है कि कॉटन की खरीद पर यदि कॉटन यार्न के राज्य में निर्माण एवं राज्य व अन्तर्राज्यीय विक्रय के लिये की जाती है तो उसमें चुकाये गये कर में 1.5 प्रतिशत से अधिक कर सीधे सेट-ऑफ हेतु क्रेडिट प्राप्त हो जायेगी। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि सेट-ऑफ तभी मिलेगा जब उस कॉटन से निर्माण हो एवं अन्त में विक्रय भी हो। यह महत्वपूर्ण है कि उस निर्मित माल का अन्तः विक्रय होना आवश्यक है परन्तु वह विक्रय उसी वित्तीय वर्ष में हो यह आवश्यक नहीं है क्योंकि सेट-ऑफ की क्रेडिट खरीद पर मिल जाएगी एवं यदि वह बाद में उस Purpose को यानि निर्माण एवं विक्रय में Purpose को पूरा नहीं करते हैं तो वह सेट-ऑफ भी वापस ले लिया जायेगा अर्थात् रिवर्स हो जायेगा। कर निर्धारण अधिकारी यह विचार करने में विफल रहे हैं कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह मार्च में माल की खरीद की जाती है एवं उसका निर्माण एवं विक्रय आगे के वर्षों में करते हैं तो यह अर्थ नहीं होगा कि मार्च माह में निर्माण एवं विक्रय के घोषित उद्देश्य से खरीद पर सेट-ऑफ को वर्ष समाप्ति पर समाप्त कर देंगे बल्कि वह सेट-ऑफ राशि को अगले वर्ष में विक्रय के समय समायोजित कर सकते हैं, परन्तु उसका रिफण्ड नहीं ले सकते। अधिसूचना में दो बिन्दु स्पष्ट हैं कि सेट-ऑफ तब तक देय होगा जब उस माल का निर्माण राज्य में होकर उसके विक्रय पर कर प्राप्त हो। यदि माल की खरीद कर निर्माण नहीं करें या निर्माण कर उसका विक्रय करने के बजाय स्टॉक ट्रांसफर कर दे या अन्यथा निस्तारण कर दे तो वह सेट-ऑफ समाप्त हो सकता है। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी अधिसूचना एवं लेखा प्रक्रिया को समझने में विफल रहे हैं अतः सेट-ऑफ को बिना कारण ही निरस्त किया गया है जबकि शर्त संख्या—4 केवल cash refund लेने पर रोक लगाने के लिये रखी गयी है। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी ने रिफण्ड नहीं दिये जाने की शर्त की गलत व्याख्या करते हुए उसके अधिक सेट-ऑफ राशि को समाप्त कर दिया है, जो अनुचित है क्योंकि जो भी राशि उसे सेट-ऑफ के रूप में प्राप्त है वह उसके खाते में क्रेडिट के रूप में अवशेष रह सकती है जिसका वह आगे के वर्षों में भी समायोजन प्राप्त कर सकता है परन्तु इस राशि का नकद में रिफण्ड प्राप्त नहीं कर सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा ऐसे ही समान मामले में मैसर्स जिनेश कॉटन एण्ड जिनिंग फैक्ट्री, ब्यावर निर्णय

लगातार.....6


—: 6 :—

1—4. अपील संख्या—304, 305, 306 व 307 / 2012 / श्रीगंगानगर.


दिनांक 15.01.2008 में निर्णीत किया गया कि अधिसूचना एफ.4(12) एफडी /
ग्रुप—4 / 89—50 दिनांक 13.09.1989 एवं सम्बन्धित परिपत्र करनीति / 89 / 43 /
एफ.16 / (47)टैक्स / सीसीटी / 85 / 2 / 3115 दिनांक 26.9.1989 में किसी
सेट—ऑफ को अगले वर्ष के लिये अग्रेषित करने में कोई रोक नहीं है।

9. उक्त विवेचन के अनुसार अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत होने
से इसकी पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।


क. लल.जैन

सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष